(141)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 804—तीन/09 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—04—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 330/अपील/2005—06.

.....

1—त्रिवेणी प्रसाद तनय शीतला प्रसाद सोनी (मृत)
वरिसाना :—
पुनीत कुमार सोनी तनय संगमलाल सोनी
निवासी ग्राम बरिगवां तहसील देवधर
जिला सिंगरौली म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—दुअसिया बेवा पत्नी बेनीमाधव सोनी
2—हृदयलाल उर्फ छोटे तनय बेनीमाधव सोनी
3—राजाराम तनय बेनी माधव सोनी
4—मुन्नीलाल तनय बेनी माधव सोनी
5—गुलाब कली उर्फ पुनुआ पुत्री बेनी माधव सोनी
6—लालमणि उर्फ कल्लू तनय शारदा सोनी
निवासीगण ग्राम अमहा बासुदेव तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क0 1 से 4
अनावेदक कमांक 5, 6 अनुपस्थित।

.....

आदेश

(आज दिनांक 20/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08—01—2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि बादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी अवध बिहारी थे जो लाबल्द फौत है, अवध बिहारी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 20.3.81 को वसीयत नामा के जरिये ग्रम अमहा वासुदेव स्थित भूमि खसरा कमांक 85/3, 87, 132/3, 163, 164/3, 165/2,241/1क1 तथा 538 का वसीयतनामा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया। अवध बिहारी की मृत्यु के बाद आवेदक ने वसीयतनामा के आधार पर बादग्रस्त भूमि का नामांतरण अपने नाम कराने हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण कमांक 42/अ–6/83–84 है। यह प्रकरण चल ही रहा था कि इसी बीच अनावेदकगण द्वारा बसीयतनामा को छिपाते हुये राजस्व निरीक्षक से दिनांक 18.8.84 को बादग्रस्त भूमि का वारिसाना नामांतरण अपने व आवेदक के नाम करा दिया। इस वारिसाना नामांतरण के विरूद्व आवेदक त्रिवेणी प्रसाद द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 23.3.1985 को अस्वीकार की गई। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 15.01.2002 द्वारा अपील मान्य करते हुये तहसील न्यायालय को पंजीकृत वसीयतनामा पर विचार कर पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.5.04 को त्रिवेणी प्रसाद के नाम नामांतरण आदेश पारित किया गया। इसके विरूद्व इसके विरूद्व अनावेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई जो दिनांक 30.04.06 को प्रदान की गई पुनर्विलोकन की अनुमति को त्रिवेणी प्रसाद द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई। पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् तथाकथित वसीयतनामा के साक्ष्य से साबित न पाते हुये आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम आदेश दिनांक 14.07.04 द्वारा वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की गई जो आदेश दिनांक 10.11.05 द्वारा खारिज की गई इसके विरूद्व त्रिवेणी प्रसाद द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 8.4.09 द्वारा खरिज की गई। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने, तथा प्रकरण में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों के अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा त्रिवेणी प्रसाद की अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के आदेश दिनांक 23.3.85 तथा राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 18.8.84 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 20.3.81 पर विचार करते हुये दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित किया जाय। न्यायालय तहसीलदार हनुमना जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 92/अ–6/94–95 में पारित आदेश दिनांक 17.5.04 द्वारा वसीयतनामा के आधार पर त्रिवेणी प्रसाद का नामांतरण स्वीकार किया गया, इस आदेश के विरूद्व मुन्नीलाल द्वारा पुर्नाविलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उचित आदेश पारित करने तथा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किये जाने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया, उक्त रिव्यु आवेदन पत्र से तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हनुमना से पुर्नावलोकन की अनुमति चाही गई जो उनके द्वारा दिनांक 30.6.04 को प्रदान की गई, जबकि उक्त आदेश अपीलीय आदेश था उक्त आदेश दिनांक 17.5.04 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील होना चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं की गई और पुर्नाविलोकन की अनुमति संहिता की धारा 51 के अंतर्गत ही दी जा सकती है जिसकी उपधारा 2 में यह प्रावधानित है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिये गये आधारों पर ही किसी प्रकरण को रिव्यु में लिया जा सकता है अन्य आधार पर नहीं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर ही रिव्यु किया जा सकता है :–

अ– किसी नये और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य का प्रकाश में आना।

ब– ऐसी भूल या गलती जो कि अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती हो।

स– किसी अन्य पर्याप्त कारण से।

स्पटतः नये तथ्यों का प्रकाश में आना अथवा किसी भूल के प्रथम व द्वितीय आधार इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। तहसीलदार द्वारा आवेदक के नाम अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 20.3.81 के आधार पर नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके विरूद्व अनावेदकगण को

अपीलीय न्यायालय में चुनौती देना चाहिये था, ऐसा न करते हुये अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुर्नाविलोकन के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज द्वारा अनुमति प्रदान करने में त्रुटि की गई है, इस ओर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। आवेदक के हक में अवध बिहारी द्वारा लेख किये गये वसीयत नामे पर भी कोई विचार नहीं किया गया है, मात्र यह लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे अनुविभागीय अधिकारी तहसील मऊगंज के प्रकरण कमांक 50/अ–6/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 10.11.05 एवं अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण कमांक 330/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 8.4.09 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार हनुमना जिला रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक मृत त्रिवेणी प्रसाद के हक में किया गया बसीयतनामा पर विचार करते हुये तथा मृत त्रिवेणी प्रसाद के वारिसान पुनीत कुमार सोनी पुत्र संगमलाल सोनी को तथा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुन: आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर